न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 16/2013 निगरानी ग्राम पंचायत

1. बाबूलाल
2. रमेशचन्द } पिसरान कानाराम
3. कैलाश
4. बनवारी
5. जामोती बेवा कानाराम

समस्त जाति रैगर निवासी सलेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।

निगरानीकारान

बनाम

1. बद्री पुत्र महादेव जाति रैगर निवासी सलेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत सलेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।

गैरनिगरानीकारान

(निगरानी याचिका विरूद्ध पट्टा देहानी दिनांक 6.10.1986 द्वारा ग्राम पंचायत सलेमपुरा पंचायत समिति लालसोट अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम)

उपस्थिति :श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता निगरानीकारान उपस्थित।
:श्री प्रेमप्रकाश चौधरी अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 1 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 20.06.2023

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सलेमपुरा के तत्कालीन सरपंच द्वारा ग्राम सलेमपुरा मोटर स्टैण्ड के पास स्थित निगरानीकर्तागण के पिता के आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या 1 के नाम दिनांक 6.10.1986 को बिना विधिक कार्यवाही किये जारी कर दिया गया। निगरानीकार द्वारा उक्त पट्टा दिनांक 6.10.1986 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

निगरानी न्यायालय में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। प्रकरण से सम्बन्धित ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा जारी पट्टे से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब करने पर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सलेमपुरा पंचायत समिति लालसोट के पत्र दिनांक 17.7.2018 द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त पट्टा प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता निगरानीकारान एवं अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकारान द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि निगरानीकर्तागण के रिहायशी मकान के सामने की भूमि जिसका पूर्व में जगदीश बारेठ निवासी बुर्जा को पट्टा दिया जा चुका है तथा जगदीश बारेठ से निगरानीकर्तागण के पिता स्व. कानाराम ने उक्त भूखण्ड को क्रय किया था। निगरानीकर्तागण उक्त भूखण्ड पर निरन्तर निर्बाध काबिज चले आ रहे है। उक्त भूखण्ड के 8 X 11 फीट का पट्टा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुरा ने विपक्षी संख्या 1 के बिना आवेदन एवं ग्राम पंचायत में नियमानुसार प्रस्ताव पारित किये बिना ही अधिकृत रूप से प्रचलित कर अपने पद का दुरूपयोग किया था। उक्त पट्टे में नाप के रूप में 8 X 11 अंकित है, जो गज है या फीट है यह अंकित नहीं किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत निःशुल्क पट्टा प्रचलित करने को अधिकृत है। पट्टाग्रहिता की पात्रता एवं पट्टा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

देहानी हेतु राज. पंचायत अधिनियम 1953 में नियम उपबन्धित है कि आवासहीन व्यक्तियों के आवेदन पर ग्राम पंचायत पट्टा प्रचलित कर सकती है किन्तु सन्दर्भित पट्टा प्राप्त करने के लिये विपक्षी अपात्र था, क्योंकि उसके पास पूर्व में ही रिहायशी मकान था। विपक्षी संख्या 1 ने ना तो ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, ना ही ग्राम पंचायत में कोई पत्रावली तैयार हुई। मात्र सरपंच एवं सचिव ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके विपक्षी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने तथा निगरानीकर्तागण के सम्पत्ति को विपक्षी संख्या 1 के नाम पट्टा प्रचलित कर विधिक एवं न्यायिक त्रूटि कारित की है। संदर्भित पट्टा के आधार पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्तागण के आधिपत्य की भूमि पर नींव खोदकर आधिपत्य करने का प्रयासरत होने के बाद स्व. कानाराम द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) लालसोट में वाद प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 को निगरानीकर्तागण के आधिपत्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराया गया। उक्त वाद के प्रस्तुत होने के बाद विपक्षी ने न्यायालय में संदर्भित पट्टा प्रस्तुत किया। जिसकी जानकारी निगरानीकर्तागण को होने पर निगरानीकर्तागण ने ग्राम पंचायत में आवेदन कर नकल पट्टा प्राप्त करने का प्रयास किया तो ग्राम पंचायत में संदर्भित पट्टा सम्बन्धित अभिलेख विद्यमान नहीं होने के कारण निगरानीकर्तागण को पट्टे की नकल प्राप्त नहीं हुई। ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध जारी किये गये उक्त पट्टे को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा दिनांक 6.10.1986 की न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) लालसोट द्वारा प्रमाणित प्रति पत्रावली में संलग्न है। निगरानीकारान द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 को परेशान करने एवं उक्त पट्टेशुदा भूमि पर से गैर निगरानीकार संख्या 1 को बेदखल करने की नीयत से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जो निरस्त फरमायी जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सलेमपुरा पंचायत समिति लालसोट द्वारा पत्र दिनांक 17.7.2018 द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त पट्टा प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है एवं अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया गया है कि प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित भूमि पूर्व से ही निगरानीकारान की स्वामित्व की भूमि है तथा पूर्व में जगदीश बारेठ निवासी बुर्जा को उक्त भूमि का पट्टा दिया जा चुका था। उक्त पट्टाशुदा भूमि को निगरानीकारान के पिता स्व. कानाराम द्वारा क्रय किया जाना व्यक्त किया गया है। प्रश्नगत पट्टे के मूल अभिलेख के अभाव में प्रश्नगत भूमि के पट्टे सम्बन्धी जानकारी स्पष्ट नहीं होती है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) लालसोट में विचारधीन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में भी वर्तमान स्थित स्पष्ट नहीं गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत पट्टा दिनांक 6.10.1986 ग्राम पंचायत सलेमपुरा को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत सलेमपुरा पंचायत समिति लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत पट्टा भूमि से सम्बन्धित रिकॉर्ड एवं मौके की जांच कर तथा माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी कर यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया हो तो उभयपक्षकारान को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा